सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

निर्णय

18.06.2018 वादीगण के अधिवक्ता द्वारा हकतर्क नामा सम्बन्धी दस्तावेज की प्रतियां प्रस्तुत की, जिसे सामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी बाबुराम पुत्र गोमाराम ने वादीगण जो उसके जायन्दा पुत्र है, के पक्ष में खातेदारी अधिकारों की घोषाणा किये जाने हेतु अपना ईकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादी संख्या 02 से 04 ने भी पैतृक भूमि में अपने अधिकार वादीगण, जो उनके भाई है के पक्ष में अपने खातेदारी अधिकारों का हकतर्क किये जाने सम्बन्धी हकतर्कनामा की प्रतियां प्रस्तुत की है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। ग्राम दक्षिणी मातासर में स्थित खसरा नम्बर 942/725 रकबा 323.09 बीघा भूमि प्रतिवादी बाबुराम पुत्र गोमाराम जाति जाट सा. देह खातेदार की खातेदारी में अंकित है। उक्त भूमि पैतृक होने सम्बन्धी खतौनी बन्दोबस्त की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है जो पत्रावली के अभिलेख पर उपलब्ध है। पैतृक खातेदारी भूमि में पुत्र का जन्म से अधिकार उत्पन्न हो जाता है। वादीगण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत पैतृक भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी बनते है। प्रतिवादी संख्या 02 से 04 जो वादीगण की सगी बहने है, के द्वारा अपने अधिकारों को भाईयों के पक्ष में हकतर्कनामा के आधार पर हकतर्क कर दिया है। ऐसी स्थिति में वादीगण का प्रतिवादी बाबुराम जो उनका पिता है की भूमि

Scanned by CamScanner

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

वाद संख्या 41/2018 अनवान ठाकराराम बनाम बाबुराम

में अपने खातेदारी अधिकार प्राप्त करने तथा खातेदारी में हिस्से दर्ज करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम दक्षिणी मातासर में स्थित खसरा नम्बर 942/725 रकबा 323.09 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 बाबुराम पुत्र गोमाराम के साथ वादीगण को सह खातेदार घोषित किया जाकर प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जाता है। उपरोक्तानुसार तहसीलदार बाडमेर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद सुनिश्चित करावें। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। निर्णय मजमे आम सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाडमेर

Scanned by CamScanner